



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26112021-231390
CG-DL-W-26112021-231390

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, नवम्बर 7—नवम्बर 13, 2021 शनिवार/ कार्तिक 16— कार्तिक 22, 1943
No. 42] NEW DELHI, NOVEMBER 7—NOVEMBER 13, 2021, SATURDAY/KARTIKA 16— KARTIKA 22, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

का.आ. 760.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री ऋषिकेश अरविंद मोडक के स्थान पर श्री ललित कुमार चंदेल (आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, बैंक आफ महाराष्ट्र के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[ई फा. सं. 6/3/2012-बीओ-1 (खंड-II)]

एस. आर. मेहर, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Financial Services)**

New Delhi, the 18th August, 2021

S.O. 760.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Lalit Kumar Chandel (Economic Advisor, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Bank of Maharashtra, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Hrisheekesh Arvind Modak.

[e F. No. 6/3/2012-BO.I (Vol. II)]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

का.आ. 761.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ बड़ौदा के कार्यपालक निदेशक श्री शांति लाल जैन (जन्म तिथि 1.1.1965) को दिनांक 1.9.2021 को या उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[ई फा. सं. 4/1/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 26th August, 2021

S.O. 761.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Shanti Lal Jain (date of birth: 1.1.1965), Executive Director, Bank of Baroda as Managing Director and Chief Executive Officer, Indian Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, on or after 1.9.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[e F. No. 4/1/2021-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

का.आ. 762.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ए. एस. राजीव की दिनांक 1.12.2021 को समाप्त हो रही वर्तमान अधिसूचित कार्यावधि को आगे दो वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[ई फा. सं. 4/2/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 26th August, 2021

S.O. 762.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby extends the term of office of Shri A. S. Rajeev as Managing Director and Chief Executive Officer, Bank of Maharashtra for a period of two years beyond his currently notified terms which expires on 1.12.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[e F. No. 4/2/2021-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

का.आ. 763.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री चौ. एस. एस. मल्लिकार्जुन राव की कार्यावधि को दिनांक 18.9.2021 से आगे उनकी अधिवर्षिता की तारीख, अर्थात् 31.1.2022 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[ई फा. सं. 4/2/2021 -बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 26th August, 2021

S.O. 763.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby extends the term of office of Shri Ch. S. S. Mallikarjuna Rao as Managing Director and Chief Executive Officer, Punjab National Bank for a period beyond 18.9.2021 till the date of his superannuation, i.e., 31.1.2022, or until further orders, whichever is earlier.

[e F. No. 4/2/2021 -BO-1]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

का.आ. 764.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल की दिनांक 1.11.2021 को समाप्त हो रही वर्तमान अधिसूचित कार्यावधि को आगे दो वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[ई फा. सं. 4/2/2021 -बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 26th August, 2021

S.O. 764.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby extends the term of office of Shri Atul Kumar Goel as Managing Director and Chief Executive Officer, UCO Bank for a period of two years beyond his currently notified terms which expires on 1.11.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[e F. No. 4/2/2021 -BO-1]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

का.आ. 765.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री पी. आर. राजगोपाल की दिनांक 28.2.2022 को समाप्त हो रही वर्तमान अधिसूचित कार्यावधि को आगे दो वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[ई फा. सं. 4/2/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव